(सत्यप्रतिलिपि)

न्या–अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) धमतरी, छ0ग0

(आदेश दिनांक 17/11/2020)

जमानत याचिका क्रमांक 267/20

राजू राम बघेल पिता विष्णु राम बघेल,
उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम कोपेडीह थाना भखारा,
जिला धमतरी, छ0ग0..**आवेदक/अभियुक्त**

–विरूद्ध–

छ0ग0 राज्य,
द्वारा आबकारी वृत्त पश्चिम धमतरी
जिला धमतरी,छ0ग0............................**अनावेदक/अभियोजन**

(आबकारी वृत्त पश्चिम धमतरी के अपराध क्रमांक 63/2020 धारा 34 (2) छ.ग.आबकारी अधिनियम से संबंधित)

17-11-2020

यह जमानत प्रकरण माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय से मय केस डायरी अंतरण पर प्राप्त ।

आवेदक/ अभियुक्त द्वारा श्री अनिल गांधी अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/राज्य शासन की ओर से श्री गजानंद मीनपाल, अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

प्रकरण केस डायरी/जमानत याचिका अंतर्गत धारा 439

दं0प्र0सं0 पर तर्क हेतु नियत है ।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत याचिका अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 पर उभय पक्ष को सुना गया एवं प्रकरण का अवलोकन किया गया ।

आवेदक/अभियुक्त ने प्रथम जमानत आवेदन होना बताया है। इसके अतिरिक्त मान्नीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में कोई जमानत आवेदन लंबित या निराकृत नहीं होना बताया है, इस संबंध में आवेदक/अभियुक्त के पुत्र महेश बघेल ने शपथ पत्र पेश करते हुए घोषणा किया है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से यह कहा गया है कि वह निर्दोष है। उसे दिनांक 11.11.2020 गिरफ्तार किया गया तब से वह जेल में है, उसे झूठा फंसाया गया है, उसके पास से कोई भी मादक प्रदार्थ जप्त नही किया गया है । वह अपने परिवार का एकमात्र कमाउ सदस्य है और उसके जेल में निरूद्ध रहने से उसके परिवार के समक्ष जीविकोपार्जन की समस्या आ गई है, वह धमतरी जिले का स्थाई निवासी है उसके पलायन या फरार होने की संभावना नही है तथा वर्तमान में कोविड–19 वैश्विक महामारी की परिस्थिति को देखते हुए जमानत पर रिहा होने की

पात्रता रखता है । आवेदक/अभियुक्त न्यायलय द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन करेगा । अतः आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया है ।

अनावेदक शासन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध करते हुये जमानत आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

केसडायरी का अवलोकन किया गया। आबकारी वृत्त पश्चिम धमतरी के अपराध क्रमांक 63/2020 धारा 34 (2) छ.ग.आबकारी अधिनियम के अनुसार आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धारा के तहत इस आशय का अपराध पंजीबद्ध किया गया है कि दिनांक 11/11/2020 को आवेदक/अभियुक्त ग्राम कोपेडीह थाना भखारा स्थित अपने आधिपत्य के मकान में चार प्लास्टिक के जरीकेन में हाथ भट्ठी का बना हुआ महुआ शराब अवैध रूप से रखा हुआ पाया गया था और आवेदक/अभियुक्त के आधिपत्य से उक्त शराब 40 लीटर की विधिवत जप्ती हुई है ।

केस डायरी के अनुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा ध

ाटना दिनांक को प्रश्नगत शराब अपने घर में धारण करने की सूचना पुलिस को मिली थी, उक्त आधार पर पुलिस मौके पर जाकर आवेदक/अभियुक्त के कब्जे से उक्त शराब जप्त किया । केस डायरी में यह उल्लेख किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त के पास उक्त मदिरा रखे जाने के संबंध में कोई दस्तावेज नही था । केस डायरी के अनुसार आवेदक/अभियुक्त से जप्त हाथ भट्ठी महुआ शराब की माता 5 बल्क लीटर से अधिक कुल 40 लीटर है, आवेदक/अभियुक्त उक्त अपराध मे संलिप्त नही रहा है अथवा जमानत पर रिहा किये जाने के पश्चात् अपराध की पुनरावृत्ति नही करेगा ऐसी संभावना नही है । उक्त तथ्य एवं परिस्थिति तथा अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने हेतु उचित मामला नही है अतएव आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है।

केस डायरी वापस हो । आदेश की एक संबंधित को

प्रेषित किया जावें ।

जमानत प्रकरण का रिजल्ट नोट कर प्रकरण अभिलेखागार में जमा हो।

(छमेश्वर लाल पटेल)
अपर सत्र न्यायाधीश(एफ.टी.सी.)
धमतरी, छ0ग0

प्रतिलिपि/–**1.** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धमतरी की ओर सूचनाथ प्रेषित। **2.** अपर लोक अभियोजक श्री गजानंद मीनपाल को प्रेषित। 03 आबकारी वृत्त धमतरी पश्चिम की ओर मय केस डायरी के सूचनार्थ प्रेषित ।

(छमेश्वर लाल पटेल)
अपर सत्र न्यायाधीश(एफ.टी.सी.)
धमतरी, छ0ग0